रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1987/माघ 27, 1908
No. 65] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1987/MAGHA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(रबड़ नियंत्रण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1987

का. आ 81(अ):—केन्द्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 और रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 42) की धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 319 (अ) तारीख, 26 अप्रैल, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद सं. 13 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"श्री के. वासुदेव पनीकर,
11, हरिशचन्द्र,
माथुर लेन,
नई दिल्ली ।"

[फाइल सं. 12/1/84-बाग (ख)]

डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(RUBBER CONTROL)

New Delhi, the 16th Feb., 1987

NOTIFICATION

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 4, read with sub-section (2) of section 5 of the Rubber Act, 1947 (42 of 1947) and rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 319(E) dated the 26th April, 1984, namely :—

In the said Notification, for the entry against item number 13, the following shall be substituted namely :—

"Shri K. Vasudeva Panicker, 11, Harish Chandra Mathur Lane, New Delhi."

[File No. 12|1|84-Plant(B)]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987